

## उपायुक्त का कार्यालय (जिला राजस्व शाखा) गिरिडीह।

गिरिडीह अंचल के अन्तर्गत गोविन्दपुर टुण्डी रोड निर्माण हेतु Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी, जंगल सखुआ इत्यादि) के संबंध में अनापत्ती प्रमाण पत्र।

गैरमजरूआ Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी, जंगल सखुआ इत्यादि) भूमि जो निम्नवत है:-

क्रमांक	जिला का नाम	अंचल का नाम	गौजा	थाना नं.	खाता नं.	प्लॉट नं.	रकबा (एकड़ में)
1.	गिरिडीह	गिरिडीह	गंगापुर	262	01	379	0.0809
कुल रकबा--							0.0809

किस्म भूमि जंगल-झाड़ी कुल रकबा 0.0809 एकड़ में सन्निहित है। तथा अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि एवं अन्य वन (Deemed Forest) भूमि से बाहर है, के अपयोजन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात इसके विधिवत हस्तान्तरण हेतु प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा गैरमजरूआ भूमि का हस्तान्तरण के प्रस्ताव की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जायेगा। गैर मजरूआ जंगल झाड़ी (Deemed Forest) भूमि के सशुल्क हस्तान्तरण/लीज बन्दोबस्ती हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जायेगा।



उपायुक्त, गिरिडीह।

ज्ञापांक 60 / रा. दिनांक 09/01/2017

- प्रतिलिपि:- उप महाप्रबंधक ए० डी० बी० परियोजना (SHA) पथ निर्माण विभाग, धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियन्ता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी प्रमण्डल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- सरकार के विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी एन.आई.सी. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कृपया जिला के Website पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।

  
उपायुक्त, गिरिडीह।

## उपायुक्त का कार्यालय (जिला राजस्व शाखा) गिरिडीह।

जमुआ अंचल अन्तर्गत पचम्बा जमुआ श्रवण पथ निर्माण हेतु Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी, जंगल सखुआ इत्यादि) के संबंध में अनापत्ती प्रमाण पत्र।

गैरमजरूआ Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी, जंगल सखुआ इत्यादि) भूमि जो निम्नवत है:-

क्रमांक	जिला का नाम	अंचल का नाम	गाँजा	थाना नं.	खाता नं.	प्लॉट नं.	रकबा (एकड़ में)
1.	गिरिडीह	गिरिडीह	नावाडीह	78	46	521	0.192
2.	गिरिडीह	गिरिडीह	परियाना	68	22	552	0.152
कुल रकबा--							0.344

किस्म भूमि जंगल-झाड़ी कुल रकबा 0.344 एकड़ में सन्निहित है। तथा अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि एवं अन्य वन (Deemed Forest) भूमि से बाहर है, कें अपयोजन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात इसके विधिवत हस्तान्तरण हेतु प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा गैरमजरूआ भूमि का हस्तान्तरण के प्रस्ताव की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जायेगा। गैर मजरूआ जंगल झाड़ी (Deemed Forest) भूमि के सशुल्क हस्तान्तरण/लीज बन्दोबरती हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जायेगा।

९९

उपायुक्त, गिरिडीह।

ज्ञापांक ..... 77 ..... / रा. दिनांक ..... 10/01/2017

- प्रतिलिपि:- उप महाप्रबंधक ए० डी० बी० परियोजना (SHA) पथ निर्माण विभाग, धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियन्ता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी प्रमण्डल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- सरकार के विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी एन.आई.सी. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कृपया जिला के Website पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।

उपायुक्त, गिरिडीह।

## उपायुक्त का कार्यालय (जिला राजस्व शाखा) गिरिडीह।

जमुआ अंचल अन्तर्गत पचखा जमुआ श्रवण पथ निर्माण हेतु Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी, जंगल सखुआ इत्यादि) के संबंध में अनापत्ती प्रमाण पत्र।

गैरमजरूआ Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी, जंगल सखुआ इत्यादि) भूमि जो निम्नवत है:-

क्रमांक	जिला का नाम	अंचल का नाम	गाँव	थाना नं.	खाता नं.	प्लॉट नं.	रकबा (एकड़ में)
1.	गिरिडीह	जमुआ	बाटो	341	32	875	0.088
2.	गिरिडीह	जमुआ	बाटी	341	32	1268	0.152
कुल रकबा-							0.240

किस्म भूमि जंगल-झाड़ी कुल रकबा 0.240 एकड़ में सन्निहित है। तथा अधिरूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि एवं अन्य वन (Deemed Forest) भूमि से बाहर है, के अपयोजन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात इसके विधिवत हस्तान्तरण हेतु प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा गैरमजरूआ भूमि का हस्तान्तरण के प्रस्ताव की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जायेगा। गैर मजरूआ जंगल झाड़ी (Deemed Forest) भूमि के सशुल्क हस्तान्तरण/लीज बन्दोबस्ती हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जायेगा।

हस्ताक्षर

उपायुक्त, गिरिडीह।

ज्ञापांक 78 / रा. दिनांक 10/01/2017

- प्रतिलिपि:- उप महाप्रबंधक ए० डी० बी० परियोजना (SHA) पथ निर्माण विभाग, धनबाद को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियन्ता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, गिरिडीह को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी प्रमण्डल को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- सरकार के विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनाथ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी एन.आई.सी. को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कृपया जिला के Website पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।

उपायुक्त, गिरिडीह।

## उपायुक्त का कार्यालय (जिला राजस्व शाखा) गिरिडीह।

गिरिडीह अंचल के अन्तर्गत बाईपास सड़क निर्माण हेतु Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी, जंगल सखुआ इत्यादि) के संबंध में अनापत्ती प्रमाण पत्र।

गैरमजरूआ Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी, जंगल सखुआ इत्यादि) भूमि जो निम्नवत है:-

क्रमांक	जिला का नाम	अंचल का नाम	मौजा	थाना नं.	खाता नं.	प्लॉट नं.	रकबा (एकड़ गे)
1.	गिरिडीह	गिरिडीह	करहरबारी	194	283	348	0.035
कुल रकबा-							0.035

किस्म भूमि जंगल-झाड़ी कुल रकबा 0.035 एकड़ में सन्नहित है। तथा अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि एवं अन्य वन (Deemed Forest) भूमि से बाहर है, के अपयोजन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात इसके विधिवत हस्तान्तरण हेतु प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा गैरमजरूआ भूमि का हस्तान्तरण के प्रस्ताव की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जायेगा। गैर मजरूआ जंगल झाड़ी (Deemed Forest) भूमि के सशुल्क हस्तान्तरण/लीज बन्दोबस्ती हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जायेगा।

६।

उपायुक्त, गिरिडीह।

ज्ञापांक ..... 79 ..... / रा. दिनांक ..... 10/01/2017

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियन्ता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी प्रमण्डल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सरकार के विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी एन.आई.सी. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कृपया जिला के Website पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।

उपायुक्त, गिरिडीह।

## उपायुक्त का कार्यालय (जिला राजस्व शाखा) गिरिडीह।

गिरिडीह अंचल के अन्तर्गत बाईपास सड़क निर्माण हेतु Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी, जंगल सखुआ इत्यादि) के संबंध में अनापत्ती प्रमाण पत्र।

गैरमजरूआ Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी, जंगल सखुआ इत्यादि) भूमि जो निम्नवत है:-

क्रमांक	जिला का नाम	अंचल का नाम	भौजा	थाना नं.	खाता नं.	प्लॉट नं.	रकबा (एकड़ में)
1.	गिरिडीह	गिरिडीह	जीतपुर	110	05	282	02.879
कुल रकबा--							02.879

किस्म भूमि जंगल-झाड़ी कुल रकबा 02.879 एकड़ में सन्निहित है। तथा अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि एवं अन्य वन (Deemed Forest) भूमि से बाहर है, के अपयोजन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात इसके विधिवत हस्तान्तरण हेतु प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा गैरमजरूआ भूमि का हस्तान्तरण के प्रस्ताव की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जायेगा। गैर मजरूआ जंगल झाड़ी (Deemed Forest) भूमि के सशुल्क हस्तान्तरण/लीज बन्दोबस्ती हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जायेगा।

  
उपायुक्त, गिरिडीह।

ज्ञापांक ..... 81 ..... / रा. दिनांक ..... 10/01/2017


प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियन्ता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी प्रमण्डल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सरकार के विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी एन.आई.सी. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कृपया जिला के Website पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।

  
उपायुक्त, गिरिडीह।

## उपायुक्त का कार्यालय (जिला राजस्व शाखा) गिरिडीह।

गिरिडीह अंचल के अन्तर्गत बाईपास सड़क निर्माण हेतु Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी, जंगल सखुआ इत्यादि) के संबंध में अनापत्ती प्रमाण पत्र।

गैरमजरूआ Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी, जंगल सखुआ इत्यादि) भूमि जो निम्नवत है:-

क्रमांक	जिला का नाम	अंचल का नाम	मौजा	थाना नं.	खाता नं.	प्लॉट नं.	रकबा (एकड़ में)
1.	गिरिडीह	गिरिडीह	चतरो	266	01	05	0.120
कुल रकबा--							0.120

किस्म भूमि जंगल-झाड़ी कुल रकबा 0.120 एकड़ में सन्नहित है। तथा अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि एवं अन्य वन (Deemed Forest) भूमि से बाहर है, के अपयोजन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात इसके विधिवत हस्तान्तरण हेतु प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा गैरमजरूआ भूमि का हस्तान्तरण के प्रस्ताव की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जायेगा। गैर मजरूआ जंगल झाड़ी (Deemed Forest) भूमि के सशुल्क हस्तान्तरण/लीज बन्दोबस्ती हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जायेगा।

हस्ताक्षर

उपायुक्त, गिरिडीह।

ज्ञापांक ..... 80 ..... / रा. दिनांक ..... 10/01/2017

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियन्ता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी प्रमण्डल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सरकार के विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी एन.आई.सी. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कृपया जिला के Website पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।

उपायुक्त, गिरिडीह।

## उपायुक्त का कार्यालय (जिला राजस्व शाखा) गिरिडीह।

गिरिडीह अंचल के अन्तर्गत बाईपास सड़क निर्माण हेतु Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी, जंगल सखुआ इत्यादि) के संबंध में अनापत्ती प्रमाण पत्र।

गैरमजरूआ Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी, जंगल सखुआ इत्यादि) भूमि जो निम्नवत है:-

क्रमांक	जिला का नाम	अंचल का नाम	गौजा	थाना नं.	खाता नं.	प्लॉट नं.	रकबा (एकड़ में)
1.	गिरिडीह	गिरिडीह	तेलोडीह	279	70	997	0.201
2.	गिरिडीह	गिरिडीह	तेलोडीह	279	70	1033	0.109
कुल रकबा--							0.310

किस्म भूमि जंगल-झाड़ी कुल रकबा 0.310 एकड़ में सन्निहित है। तथा अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि एवं अन्य वन (Deemed Forest) भूमि से बाहर है, के अपयोजन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात इसके विधिवत हस्तान्तरण हेतु प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा गैरमजरूआ भूमि का हस्तान्तरण के प्रस्ताव की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जायेगा। गैर मजरूआ जंगल झाड़ी (Deemed Forest) भूमि के सशुल्क हस्तान्तरण/लीज बन्दोबस्ती हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जायेगा।

EN

उपायुक्त, गिरिडीह।

झापांक 83 / रा. दिनांक 10/01/2017

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियन्ता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी प्रमण्डल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सरकार के विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी एन.आई.सी. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कृपया जिला के Website पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।

उपायुक्त, गिरिडीह।

## उपायुक्त का कार्यालय (जिला राजस्व शाखा) गिरिडीह।

गिरिडीह अंचल के अन्तर्गत बाईपास सड़क निर्माण हेतु Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी, जंगल सखुआ इत्यादि) के संबंध में अनापत्ती प्रमाण पत्र।

गैरमजरूआ Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी, जंगल सखुआ इत्यादि) भूमि जो निम्नवत है:-

क्रमांक	जिला का नाम	अंचल का नाम	मौजा	थाना नं.	खाता नं.	प्लॉट नं.	रकबा (एकड़ में)
1.	गिरिडीह	गिरिडीह	चिलगा	225	01	01	06.376
2.	गिरिडीह	गिरिडीह	चिलगा	225	01	118	02.355
	गिरिडीह	गिरिडीह	चिलगा	225	01	122	0.106
	गिरिडीह	गिरिडीह	चिलगा	225	01	178	02.134
कुल रकबा-							10.971

किस्म भूमि जंगल-झाड़ी कुल रकबा 10.971 एकड़ में सन्नहित है। तथा अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि एवं अन्य वन (Deemed Forest) भूमि से बाहर है, के अपयोजन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात इसके विधिवत हस्तान्तरण हेतु प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा गैरमजरूआ भूमि का हस्तान्तरण के प्रस्ताव की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जायेगा। गैर मजरूआ जंगल झाड़ी (Deemed Forest) भूमि के सशुल्क हस्तान्तरण/लीज बन्दोबस्ती हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जायेगा।

एव

उपायुक्त, गिरिडीह।

ज्ञापांक ..... 84 ..... / रा. दिनांक ..... 10/01/2017

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियन्ता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी प्रमण्डल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सरकार के विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी एन.आई.सी. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कृपया जिला के Website पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।

उपायुक्त, गिरिडीह।



## उपायुक्त का कार्यालय (जिला राजस्व शाखा) गिरिडीह।

गिरिडीह अंचल के अन्तर्गत बाईपास सड़क निर्माण हेतु Deemed Forest भूमि (जंगल--झाड़ी, जंगल सखुआ इत्यादि) के संबंध में अनापत्ती प्रमाण पत्र।

गैरमजरूआ Deemed Forest भूमि (जंगल--झाड़ी, जंगल सखुआ इत्यादि) भूमि जो निम्नवत है:-

क्रमांक	जिला का नाम	अंचल का नाम	गौजा	थाना नं.	खाता नं.	प्लॉट नं.	रकवा (एकड़ में)
1.	गिरिडीह	गिरिडीह	चुंचका	238	33	191	09.130
2.	गिरिडीह	गिरिडीह	चुंचका	238	33	41	03.144
3.	गिरिडीह	गिरिडीह	चुंचका	238	33	33	04.214
कुल रकवा --							16.488

किस्म भूमि जंगल-झाड़ी कुल रकवा 16.488 एकड़ में सम्मिलित है। तथा अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि एवं अन्य वन (Deemed Forest) भूमि से बाहर है, के अपयोजन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात इसके विधिवत हस्तान्तरण हेतु प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा गैरमजरूआ भूमि का हस्तान्तरण के प्रस्ताव की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जायेगा। गैर मजरूआ जंगल झाड़ी (Deemed Forest) भूमि के सशुल्क हस्तान्तरण/लीज बन्दोबस्ती हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जायेगा।

PN

उपायुक्त, गिरिडीह।

ज्ञापांक ..... 85 ..... / रा. दिनांक ..... 10/01/2017

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियन्ता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी प्रमण्डल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सरकार के विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी एन.आई.सी. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कृपया जिला के Website पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।

10/01/17

उपायुक्त, गिरिडीह।

## उपायुक्त का कार्यालय (जिला राजस्व शाखा) गिरिडीह।

गिरिडीह अंचल के अन्तर्गत बाईपास सड़क निर्माण हेतु Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी, जंगल सखुआ इत्यादि) के संबंध में अनापत्ती प्रमाण पत्र।

गैरमजरूआ Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी, जंगल सखुआ इत्यादि) भूमि जो निम्नवत है:-

क्रमांक	जिला का नाम	अंचल का नाम	गौजा	थाना नं.	खाता नं.	प्लॉट नं.	रकबा (एकड़ में)
1.	गिरिडीह	गिरिडीह	अकदोनी खुर्द	226	243	24	08.026
2.	गिरिडीह	गिरिडीह	अकदोनी खुर्द	226	243	69	02.838
कुल रकबा-							10.864

किस्म भूमि जंगल-झाड़ी कुल रकबा 10.864 एकड़ में सन्निहित है। तथा अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि एवं अन्य वन (Deemed Forest) भूमि से बाहर है, के अपयोजन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात इसके विधिवत हस्तान्तरण हेतु प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा गैरमजरूआ भूमि का हस्तान्तरण के प्रस्ताव की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जायेगा। गैर मजरूआ जंगल झाड़ी (Deemed Forest) भूमि के सशुल्क हस्तान्तरण/लीज बन्दोबस्ती हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जायेगा।

६७

उपायुक्त, गिरिडीह।

ज्ञापांक ..... 86 ..... / रा. दिनांक ..... 10/01/2017

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियन्ता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी प्रमण्डल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सरकार के विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी एन.आई.सी. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कृपया जिला के Website पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।

उपायुक्त, गिरिडीह।